



# राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय सचिव (प्रशासन),

विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302005

क्रमांक /रा.रा.वि.प्र.नि./सचिव(प्रशासन)/HRD/प्रे.

169

जयपुर, दिनांक 02.01.2018

श्रीमान मुख्य अभियंता (टी एण्ड सी),

रा.रा.वि.प्रसारण निगम लिमिटेड,


जयपुर/अजमेर /जोधपुर |

विषय :- आयुक्त-कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग द्वारा जीएसएस पर पदस्थापित सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता को परीक्षक के रूप में उपरोक्त विभाग द्वारा मांगे जाने पर कार्य मुक्त करने के सन्दर्भ में |

आयुक्त-कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग एवं प्रबंध निदेशक-आर. एस. एल. डी. सी. से प्राप्त अशा. पत्र क्रमांक 74289 दिनांक 08.12.2017 और वरिष्ठ उप शासन सचिव (उर्जा विभाग), जयपुर के पत्र क्रमांक प.4 (13)उर्जा/2017 दिनांक 20.12.17 प्रतिलिपि संलग्न के सन्दर्भ में निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य में 19.01.2018 से 30.01.2018 तक आयोजित की जाने वाली प्रायोगिक परीक्षा के मुल्यांकन हेतु जिला स्तरीय राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा जी.एस.एस. एवं स्थानीय कार्यालयों पर पदस्थापित सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता को परीक्षक के रूप में मांगे जाने पर जी.एस.एस. की कार्य व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए, विद्युत आपूर्ति को प्रभावित किये बिना कार्यमुक्त करने की व्यवस्था करे। आप द्वारा आदेशित सभी सहायक अभियंता /कनिष्ठ अभियंता इस कार्य के दौरान इयूटी पर माने जायेंगे लेकिन उनके सभी यात्रा/रहने/खाने का भत्ता संबंधित औद्योगिक संस्थान वहन करेगी तथा निगम इयूटी के अलावा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं करेगा |


संलग्न : उपरोक्त |

आज्ञा से

  
(पुखराज सेन)  
सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचना एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान आयुक्त, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान वरिष्ठ उप शासन सचिव (उर्जा विभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर |
3. श्रीमान तकनीकी सहायक - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर।
4. श्रीमान अधीक्षण अभियंता (एम्.आई.एस. एण्ड आई.टी.), से आग्रह किया जाता है कि उपरोक्त पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करे |

  
अधीक्षण अभियंता (मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण)